

14/7/25

डॉ. शिव प्रसाद खेर, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

वकील अपीलार व अपीलान्त
के बार-बार रुठ-रुठ रुट आवाजे लगवारे
गई। कोई उपस्थित नही। अतः पत्रावली अडम व
अडम पैखी में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद
कार्यवाही कारखाने दफ्तर हो
आदेश शुल्क न्यायालय में

बुनाया गया।



सदस्य

राजेश महल राजस्थान
अजमेर



सदस्य

राजेश महल राजस्थान
अजमेर